उत्तरांचल शासन

संख्या 1332 / IV-XI/189/वग्रावि0 /
बायफ / 2001

प्रेषक,

डा. आर. एस. टोलिया,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा,
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरांचल

वन एवं ग्राम्य विकास देहरादून : दिनांक 1-9-2001

विषयः उत्तरांचल में बायफ केन्द्रों तथा पैरावेट केन्द्रों (उपकेन्द्रों) का संचालन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न जनपदों में नये बायफ केन्द्रों/उपकेन्द्रों की स्थापना/संचालन उन स्थानों पर भी किये जाने के लिए शासन सहमत है, कि जहां पूर्व से ही पशुपालन एवं डेयरी विकास के ए0आई0 के केन्द्र/उपकेन्द्र संचालित हो रहे हैं, तदनुसार जनपदीय स्तर पर भी इस प्रकरण पर आपत्ति न की जाय.

डेयरी विकास विभाग तथा पशुपालन विभाग द्वारा संचालित ए0आई0 केन्द्रों/उपकेन्द्रों को भी आवश्यकतानुसार बायफ द्वारा संचालित करने हेतु उन्हें हस्तगत कराये जाने पर भी शासन को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि बायफ द्वारा इस क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है.

(डा० आर.एस. टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 1332 (1)/IV-XI/189–ग्रा.वि./बायफ/2001 तद् दिनाक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त मुख्य पशुधन विकास अधिकारी, पशुपालन उत्तरांचल.
2. समस्त सहायक निदेशक, डेयरी विकास/प्रधान प्रबन्धक/प्रबन्धक, दुग्ध संघ, उत्तरांचल.
3. समस्त परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए., उत्तरांचल.
4. राज्य समन्वयक, बायफ, उत्तरांचल, शक्ति विहार, अधोईवाला–2, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून.
5. अपर मुख्य कार्यक्रम संयोजक, बायफ सर्किल कार्यालय, 128/187 वाई–1 ब्लाक, किदवईनगर, कानपुर.
6. वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बायफ, 109 महावीर भवन, सी–2, कटमपुरा काम्प्लेक्स नई दिल्ली – 15.
7. निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तरांचल तथा निदेशक, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल को इस आशय से कि कृपया बायफ केन्द्रों को खोलने तथा संचालन में पूर्ण सहयोग कराना सुनिश्चित करें.
8. अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन.

(डा.पी.एस. गुसांई)
अपर सचिव